

भारत को स्वतंत्र हुए पचास से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। कश्मीर समस्या स्वतंत्रता पूर्व से भारत के लिये सिर दर्द बनी हुई थी, तथा आज तक बनी हुई है। इस समस्या के पीछे भारत और पाकिस्तान के लाखों लोग मारे जा चुके हैं तथा खरबों की सम्पत्ति स्वाहा हो चुकी है किन्तु मामला एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। निकट भविष्य में सुलझने के कोई संकेत भी नहीं हैं।

संक्षेप में मामला यह है कि भारत में दो तरह की स्टेट थी **1.** अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन वाली जहाँ राजाओं का शासन था **2.** प्रत्यक्ष शासन वाली जहाँ राजा बौध में शासक के रूप में नहीं थे। विभाजन के समय पहले प्रकार के नागरिकों की इच्छा जानने के लिये राजाओं को जन इच्छा का प्रतीक माना गया तथा दूसरे प्रकार के क्षेत्रों में जनमत संग्रह का सहारा लिया गया। या तो जनमत संग्रह के आधार पर या राजाओं की सहमति के आधार पर अन्य सभी बटवारे के विवाद तो सुलझ गये किन्तु हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का मामला नहीं निपटा। बाद में जूनागढ़ भी निपट गया किन्तु शेष दो की स्थिति विकट थी। हैदराबाद का राजा मुसलमान तथा जनता हिन्दू थी आर कश्मीर का इसके ठीक विपरीत। ये दोनों राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे किन्तु स्वतंत्र रहने लायक ताकत की कमी थी। हैदराबाद की हिन्दू जनता भारत में मिलना चाहती थी अतः उसके दबाव के आधार पर भारत ने हैदराबाद को अपने साथ ताकत से मिला लिया। इसके विपरीत कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और युद्ध काल में वहाँ के राजा ने कश्मीर का सम्पूर्ण विलय भारत में कर दिया।

उस समय कश्मीर प्रकरण राष्ट्र संघ में निपटारा हेतु गया। भारत को यह विश्वास था कि कश्मीर को जनता पूरी तरह राजा के साथ हैं साथ ही एक दो वर्षों में और सुविधा देकर हम वहाँ की जनता की ओर अधिक अपनी ओर झुका लेंगे। अतः भारत न विलय के बाद भी जनमत संग्रह स्वीकार कर लिया। इसी समय साम्प्रदायिक हिन्दुत्व ने महात्मा गांधी की हत्या साम्प्रदायिकता के उद्देश्य से कर दी। दूसरी ओर श्यामा प्रसाद जीम मुखर्जी ने विलय की शर्तों के खिलाफ आवाज उठाकर तथा उस आवाज में पक्ष में आंदोलन की शुरुआत कश्मीर प्रवेश से करके कश्मीर समस्या को ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया कि कश्मीर के मुसलमानों का विश्वास डगमगाने लगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भी इसी फिराक में था कि कश्मीर के मुसलमानों का विश्वास राजा या हिन्दुस्तान पर से हटकर इस्लाम के पक्ष में हो जाय। स्वाभाविक था कि भारत जनमत संग्रह को टालने लगा और पाकिस्तान भारत पर जनमत संग्रह के पक्ष में दबाव बनाने लगा। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया और सारे समझौते ताकत के समक्ष अस्तित्व हीन हो गये।

मुख्य बिन्दु यह है कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा पक्ष ठीक था। भारत ने हैदराबाद में जो किया वहीं पाकिस्तान ने कश्मीर में किया। भारत ने भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर निजाम को भारत विलय के लिये मजबूर कर दिया किन्तु पाकिस्तान कश्मीर को नहीं रोक सका और कश्मीर का भी विलय भारत में हो गया। कश्मीर पर पहला आक्रमण पाकिस्तान का ही था यह निर्विवाद है। युद्ध का प्रारंभ करने वाला पक्ष युद्ध में पराजित होकर न्याय की बात करे यह सामान्य न्याय से हटकर देखा जाना चाहिये। कल्पना करिये कि पाकिस्तान पूरा कश्मीर जीत लेता तब न्याय की भीख भारत दुनिया में मांगता फिरता और पाकिस्तान भारत के साथ वही व्यवहार करता जैसा आज भारत का है। अतः दो देशों के आपसी विवाद सामाजिक न्याय के सिद्धान्त से नहीं निपटाये जा सके क्योंकि कश्मीर समस्या सामाजिक समस्या न होकर राष्ट्रीय समस्या है और उसे राष्ट्रीय स्तर के न्याय के ही आधार पर निपटाना होगा।

में व्यक्तिगत रूप से आपसी झगड़ों की पंचायत के लिये प्रसिद्ध हूँ। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब या तो न्याय अस्पष्ट हो अथवा परिस्थिति अनुसार सम्पूर्ण न्याय का पालन संभव न हो। ऐसे समय में पंचायत द्वारा न्याय की कुछ सीमा में अनदेखी करके या तोड़ मराड़कर समझौते का प्रयास होता है। कश्मीर समस्या पर भी दोनों ही पक्षों के तर्कों में दम है। साथ ही इस्लाम का कट्टर स्वभाव तथा भारत की सामाजिक शक्ति को देखते हुए किसी पक्ष को न्याय क पूरी तरह पालन हेतु सहमत करना भी कठिन है। ऐसी स्थिति में न्याय पर अधिक चर्चा करने की अपेक्षा समझौते का प्रयास ही अधिक कारगर हो सकता है। इससे अच्छा समझौता यथास्थिति को स्वीकार करना ही हो सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही यह समझ चुके हैं कि इसके अतिरिक्त कोई और समझौता हो नहीं सकता। किन्तु यह समझते हुए भी दोनों समझौता न करने के लिये मजबूर हैं इसके दो कारण हैं 1. दोनों ने अपने अपने देश की जनता की भावनात्मक रूप से कश्मीर के साथ जोड़ दिया है। 2. दोनों ही पक्ष यह जानते हैं कि पंचायत में बैठने के पूर्व अपनी मांग को बढ़ाकर रखना ही बुद्धिमानी है। अन्यथा संभव है कि पंचायत में कुछ और भी देना पड़ जाये। यही कारण है कि दोनों पक्ष न चाहते हुए भी अपनी बात कहने से कतरा रहे हैं।

मैं जहाँ भी जाता हूँ और ग्यारह प्रमुख समस्याओं की बात रखता हूँ तो प्रायः लोग कश्मीर समस्या पर प्रश्न करते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, आर्थिक असमानता आदि ग्यारह समस्याओं में कश्मीर समस्या को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि कश्मीर समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है जो बिल्कुल सीधे रूप में जनजीवन से जुड़ी हुई नहीं है जबकि ग्यारह समस्याएँ सामाजिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी हैं जिनका सीधा संबंध सार्वजनिक जन जीवन से है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर समस्या पचास वर्षों से इस तरह लगातार नहीं बढ़ रही है कि प्रशासन के नियंत्रण से बाहर को गई हो, या भविष्य में नियंत्रण का कोई मार्ग न दिख रहा हो जबकि ग्यारह हैं चयनित समस्याएँ शासन के नियंत्रण से भी बाहर और भविष्य में सुधार की कोई संभावना भी नहीं हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व हमारी सेनाओं के पास है तथा तत्संबंधी नीतियाँ बनाना का कार्य शासन के पास है। न तो सेनाओं न ही नागरिकों से हस्तक्षेप या सहयोग की मांग की है न ही प्रशासन ने। जबकि ग्यारह समस्याओं के नियंत्रण में प्रशासन परास्त हो गया है। यहाँ तक कि कई बार तो सेना तक को बुलाने की स्थिति आ जाती है। अतः मेरे विचार में कश्मीर समस्या कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे इन ग्यारह समस्याओं पर वरीयता दी जा सके या शामिल किया जा सके। कश्मीर समस्या तथा ग्यारह चिन्हित समस्याओं में से सबका समाधान होना चाहिये किन्तु कश्मीर समस्या इन ग्यारह समस्याओं से अधिक महत्व की न होकर कम महत्व की है। यदि कश्मीर भारत का हो भी जाय और ग्यारह समस्याएँ बढ़ जायें तो यह हमारे लिये कोई अच्छी बात नहीं होगी। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि ग्यारह महत्वपूर्ण समस्याओं पर से ध्यान हटाने तथा अपनी विफलता छिपाने के लिये बार बार कश्मीर की चर्चा की जाती है। राजनेताओं की शतरंज में हम बेमतलब मोहरा बन जाते हैं।

कश्मीर समस्या पूरी तरह ठीक दिशा में चलती रही है सरकार चाहे किसी की हो कश्मीर पर नीति लगभग एक समान ही है। हम ग्यारह समस्याओं में असफलता के लिये वर्तमान व्यवस्था को दोषी मानते हुए इसमें पूरी तरह बदलाव पर अपना आंदोलन केन्द्रित कर रहे हैं। कश्मीर समस्या में वर्तमान व्यवस्था की न सफलता प्रमाणित होती है न ही विफलता। कश्मीर समस्या की बार बार समाज में भावनात्मक चर्चा हमारे आंदोलन के लिये बहकाव का काम करेगी। हमें चाहिये कि हम राजनेताओं की इस चाल को विफल कर दें और अपना Focus कश्मीर समस्या से हटाकर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मिलावट, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता, श्रमशोषण आदि ग्यारह सूत्री समस्याओं पर केन्द्रित करें।

श्री अमरनाथ भाई, अध्यक्ष सर्वसेवासंघ

एन.ए.पी.एम. के कार्यक्रमों में व्यस्त होने से सेवाग्राम सम्मेलन में आना संभव नहीं। आप पूरी तरह गांधी विचारों से जुड़ हुए हैं। फिर भी हम आप हमराही नहीं बन पा रहे।

1 श्री कमल टावरी आई.एस. विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली

आपका पत्र मिला। व्यस्तता के बावजूद सेवा ग्राम सम्मेलन में अवश्य आऊँगा। ज्ञान तत्व अंक साठ मिला। भारत में पिछले पचास वर्षों में बढ़ रहे चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट धूर्तता, आतंकवाद, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, चरित्रपतन, आर्थिक असमानता, श्रम शोषण आदि मानवीकृत रोगों का इलाज संभव है यदि हमारी सोच आर नियति सही और वास्तविक हो। आजादी के बाद गाँधी जी ने सदा ग्राम स्वराज्य की बात की थी जो वास्तव में इन सब समस्याओं का समाधान था। शायद इसे समझने में हमसे भूल हुई।

आज तक जो भी समस्याएँ पैदा हुईं उनके पीछे आबादी वृद्धि के साथ साथ वे भूलें भी थी जो स्वावलम्बन पर आधारित थी किन्तु हम उन्हें भूल गये। पुराने जमाने में जब सिर्फ गाँव थे तब भी वे सुखी थे क्योंकि वे स्वावलम्बी थे और रोजगार हेतु परतंत्र नहीं थे। किन्तु अब शहरों की वृद्धि के बाद हमारे गाँवों का रोजगार शहरों की ओर पलायन कर गया और उसी अनुपात में हमारी आबादी भी गाँव छोड़कर शहर की ओर दौड़ने लगी। लोग अधिक पाने की लालच में समस्याओं में फँसते चले गये। यदि भारत पुनः पुरानी देशी वस्तुओं जैसे गाय, देशी खाद, पशु पालन देशी बीज, जडो बूटी आदि की आर लौट सके और हम इन देशी वस्तुओं का प्रयोग मँने शोध और बाजार स्थापित कर सक तो समस्याओं का समाधान कठिन नहीं है। इसी तरह गाँवों में उर्जा के प्राकृतिक साधन तथा चिकित्सा के लिये भी स्थानीय जागरूकता बढ़ा कर हम गाँव स्वावलम्बन अपना सकते हैं। गाँव स्वावलम्बी होगा तभी देश भी बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा।

उत्तर— आप दोनों मेरे परिचित भी हैं और हम राही भी। मैं नहीं समझता की आपके और हमारे उद्देश्य और लक्ष्य भिन्न भिन्न हो। हम और आप सब मिलकर एक ही बीमारी के इलाज में लगे हुए हैं। फिर भी एक साथ खड़े इसलिये नहीं दिखते कि आप समस्याओं पर पैदल आक्रमण कर रहे हैं और हम हवाई। आप रोगी के उचित पथ्य और खान पान पर ध्यान दे रहे हैं और हम दवा पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे को आगे बढ़ने में दिक्कत होगी अतः हम आप सब हम राही भी हैं और पूरक भी।

गांधी जी ने सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान ग्राम स्वराज्य को घोषित किया था। हम आप दोनों इसे अक्षरशः स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य के दो लक्षण अनिवार्य बनाये थे **1.** गाँव के लोगों को गाँव संबंधी मामलों में निर्णय की पूरी स्वतंत्रता हो **2.** गाँव आत्म निर्भर और स्वावलम्बी हो। पचास वर्षों तक आप सबने गाँव की आत्म निर्भरता और स्वावलम्बन के लिये पूरी शक्ति और इमानदारी से प्रयास किये किन्तु परिणाम विपरीत हुए क्योंकि —

क— जेल में बंद व्यक्ति को जेल में ठीक से रहने की कला सिखाना ही पर्याप्त नहीं होता।

ख— किसी शेर के सामने बंधी गाय की अच्छा भोजन और अच्छा पानी उसके स्वास्थ्य का आधार नहीं हो सकती।

ग— शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप से अधिकतम मुक्त हुए बिना ग्राम स्वराज्य आ ही नहीं सकता। ग्राम स्वावलम्बन और आत्म निर्भरता निर्णय की स्वतंत्रता के अभाव में असंभव है क्योंकि ग्राम स्वावलम्बन या आत्म निर्भरता निर्णय की स्वतंत्रता क बाद ही आ सकते हैं, पूर्व नहीं।

घ— शासन के हस्तक्षेप, दायित्व और अधिकारों के अधिक मात्रा में रहते हुए ग्राम स्वावलम्बन के प्रयास शासन की शक्ति को बढ़ने में सहायक होते हैं, घटाने में नहीं। परिणाम स्वरूप ग्राम स्वराज्य कुछ दूर खिसकता जाता है।

मेरी यह स्पष्ट राय है कि निर्णय की स्वतंत्रता का प्रमुख और स्वावलम्बन अन्त्योदय, कुटीर उद्योग, देशी वस्तु उपयोग, स्वदेशी, नशाबंदी, पर्यावरण सुरक्षा, आदि कार्यों को पूरक प्राथमिकता मिलनी चाहिये। किन्तु पचास वर्षों तक हम आप सब लोग पूरक कार्यों को प्रमुख मान कर उसमें अपनी शक्ति लगाते रहे किन्तु प्रमुख काय की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बीच-बीच में अन्य निन्यानब कार्यों की तरह इसकी भी थोड़ी-थोड़ी चर्चा करके इसे जीवित रखा गया।

स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने सोच लिया था कि राष्ट्रीय स्वराज्य की बागडोर गांधी वादियों के पास आ जाने से ग्राम स्वराज्य का पहला कार्य तो संवधानिक तरीके से हो गया माना जाय। क्योंकि जेल की चाम्पी हमारे पास है तो कैदी को बाहर निकालने के पूर्व उसके व्यवस्था की सामान्य तैयारी कर ली जाय। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि गांधी जी भारतीय संविधान में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अभाव से बहुत दुखी थे और कोई मार्ग तलाश रहे थे, कि उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के साथ ही उनकी तलाश की भी हत्या हो गई और हमसब यत्र वत् उस कार्य में लग गये जो गांधी जी ने स्वराज्य ग्राम के लक्षण बताये थे। मैंने वर्षों तक परिश्रम करके गांधी जी की तलाश की आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उस तलाश में आप सबका भरपूर मार्गदर्शन और सहयोग भी मिलता गया। इतने लम्बे अनुसंधान के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुँच सका कि शासन से मुक्त हुए बिना न ग्राम स्वराज्य आ सकता है न ही ग्राम स्वावलम्बन।

इस निष्कर्ष के परिपेक्ष्य में मैं आप सब के प्रयास का प्रशंसक भी हूँ और समर्थक भी किन्तु शासन से अधिकतम मुक्ति के प्रयासों को छोड़कर आपका हमराही नहीं बन सकता। मुझ यह देखकर पीड़ा होती है निष्कर्ष निकालने में भी विचारों की प्रधानता को हटाकर चरित्र को स्थापित करने का प्रयास होता है। चरित्र विचार प्रसार में सहायक होता है, सुराज्य व्यवस्था जैसी अभी चल रही है उसमें महत्वपूर्ण होता है, किन्तु स्वराज्य व्यवस्था में चरित्र विचारों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मार्च छब्बीस से उनतीस तक के सेवाग्राम सम्मेलन में इस मुद्दे पर गंभीर मंत्रणा होनी है कि ग्राम स्वराज्य की दिशा में बढ़ने के रूप में शासन के अधिकार हस्तक्षेप तथा दायित्व न्यूनतम होने के लिये क्या योजना बन सकती है तथा सन् दो हजार सात तक अपनी समय बद्ध परिणाम मूलक प्रगति के लिये गति प्राप्त करने का क्या तरीका संभव है। उस सम्मेलन में स्वदेशी, चरित्र निर्माण खादी, गामोद्योग, स्वावलम्बन अन्त्योदय, शिक्षा, पर्यावरण, नशा बंदी आदि क चल रहे कार्यों को ग्राम स्वराज्य सहायक मानकर सामंजस्य की चर्चा भी होगी तथा प्रश्नोत्तर भी होंगे किन्तु **Focus** शासन के अधिकार हस्तक्षेप और दायित्व न्यूनतम होने पर ही रहेगा। उस सम्मेलन का **Focus** शासन के अधिकार हस्तक्षेप और दायित्व न्यूनतम होने पर ही रहेगा। उस सम्मेलन का **Focus**

आदर्श ग्राम नहीं होगा और न ही ऐसे लोगों को अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त समय ही मिल पायेगा। यदि ऐसे मित्र अपना विचार लिखकर दे सकें तो प्रिंट कराकर हम वितरित करा देंगे। सेवा ग्राम का चार दिनों का पूरा कार्यक्रम लोक स्वराज्य पर Focus है जहां आदर्श ग्राम की जगह स्वराज्य ग्राम पर चिन्तन मनन और कार्यान्वयन की रूपरेखा बनेगी। मेरे विचार में यही मार्ग गांधी जी के विचारों के अनुकूल दिखता है।

सेवाग्राम आने के संबंध में आपकी व्यस्तता हम समझते हैं। आप जो कर रहे हैं वह भी कोई गैर काम नहीं। टावरी जी सहित अन्य सभी विद्वान आ ही रहे हैं। फिर भी यदि आप आते तो और अच्छा होता। समय परिस्थिति और प्राथमिकता के आधार पर आप जो भी निर्णय लगे उसमें हमारी पूरी सहमति है।

श्री सुहास सरोदे, यवतमाल महाराष्ट्र

ज्ञान तत्व अंक साठ में आपने लिखा है कि महात्मा गांधी सरीखे महापुरुष भी मुस्लिम साम्प्रदायिकता को न ही संतुष्ट कर सके न ही समझौता। मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने भारत का विभाजन कराकर ही दम लिया। आपके इस कथन से इसलिये असहमत हूँ कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धान्त वीर सावरकर की देना था जिसे बाद में बैरिस्टर मोहम्मद अली ने आगे बढ़ाया।

सूबेदार धर्मसिंह, मोहम्मदपुर माजरा, झज्जर, हरियाणा

ज्ञान तत्व मिला। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप हिन्दू धर्म के आन्तरिक अन्याय और शोषण को अनदेखा कर रहे हैं। सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था पर आपने कभी कुछ नहीं लिखा है। भारतीय समाज का एक बड़ा भाग हजारों वर्षों से इस व्यवस्था में पिस रहा है। सदियों से इन शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया। ऐसे लोगों को अछूत कहकर पूजा से वंचित किया गया। हिन्दू धर्म में इतना अत्याचार होने के बाद भी आप धर्म परिवर्तन को दण्डनीय अपराध बनाने की वकालत करके क्या संदेश दे रहे हैं कि ये लोग इसी तरह पिसते रहें।

आपने कमांक सात पर लिखा है कि वन अपराध, आदिवासी हरिजन महिला आदि के अपराधों को न्यायालय से बाहर रखन की अलोकतांत्रिक परंपरा घातक है। इस तरह आप क्या संदेश दे रहे हैं। इतनी कठोरता के बाद भी तो इन पिछड़े लोगों का यह हाल है। फिर यदि कानून की कठोरता कम हो जावे तो क्या होगा। आपके नाम के आगे अग्रवाल शब्द लगा होने से महसूस हुआ कि आप भी न अपने उप नाम शब्द का माह छोड़ पा रहे हैं न ही संस्कारों को। कृपया फिर से विचार करें।

श्री जयशंकर कुमार, तेतरी, बेगूसराय, बिहार

ज्ञान तत्व अंक साठ मिला। आपने धर्म परिवर्तन को दण्डनीय अपराध बनाने का सुझाव दिया है। मेरे विचार में व्यक्ति को एक इकाई रहने दें तथा धर्म के मामले में शासन किसी तरह का कोई कानून न बनावे। भारतीय संस्कृति स्वयं में सहिष्णु है तथा वह अपने आप समाधान निकाल लेगी।

उत्तर— आप सबने धर्म परिवर्तन को कानूनी और दण्डनीय अपराध बनाने के सुझाव का विरोध किया है। मैंने ऐसा सुझाव कहां दिया है? आप कृपया पुनः पढ़ियेगा। मैंने अंक साठ और इकसठ दोनों में लिखा है कि धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास को अपराध घोषित कर द। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदल ले तो वह बदल सकता है किन्तु धर्म के ठेकेदारों को इससे बाहर कर देना चाहिये। कई ग्रामोण जातियाँ बिना कलेक्टर की अनुमति के जमीन नहीं बेच सकती, हमारे छत्तीसगढ़ में कोई ठेकेदार मजदूरों को बिना अनुमति के छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं ले जा सकता। उसी तरह कोई धर्म बदलने हेतु बहका फुसला नहीं सकता इसमें क्यों दिक्कत है। इससे धार्मिक छीना झपटी रूक सकती है।

वीर सावरकर ने द्विराष्ट्र का सिद्धान्त दिया और कुछ मुसलमानों ने उसे बढ़ाकर बंटवारा करा दिया यह तर्क मेरी समझ से बाहर है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अधिकांश हिन्दू वीर सावरकर से असहमत थे और अधिक मुसलमान भारत विभाजन के पक्ष में। एक वीर सावरकर का नाम लेकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की विभाजन काल की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। वीर सावरकर जैसे एक दो लोग यदि नहीं बोलते तो भारत नहीं बंटता और गांधी जी की बात मान ली जाती ये बचकाने तर्क है। साम्प्रदायिकता को न संतुष्ट किया जा सकता है न समझौता। न जीवित गांधी जी स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम कट्टरवाद को संतुष्ट कर सके न स्वतंत्रता के बाद हिन्दू साम्प्रदायिकता को। अतः साम्प्रदायिकता को संतुष्ट करने का प्रयास बेकार की कसरत है। न संघ परिवार समझेगा न ही मुसलमान संगठन।

सूबेदार धर्म सिंह जी ने हिन्दू धर्म की अनेक विकृतियों की ओर इशारा किया है। हिन्दू धर्म की विकृतियों यदि कानून से दूर करने की छूट दो जाये तो मुस्लिम विकृतियों को कानून से दूर करने की छूट क्यों नहीं? या तो कानून किसी धर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे अथवा विकृतियों को दूर करने के लिये नियम बनावे चाहे वह विकृति किसी भी धर्म की क्यों न हो। आप इस्लाम में आन्तरिक विकृतियों नहीं देखें यह आश्चर्य की बात है।

मैंने लिखा था कि “चोरी डकैती बलात्कार और मिलावट जैसे अपराधों में शतप्रतिशत न्याय तक की पूरी सतर्कता रखी जाती है किन्तु दहेज वन अपराध आदिवासी हरिजन उत्पीड़न आदि अनेक मामलों में न्यायालय की परिधि से बाहर रखने की अलोकतांत्रिक पणाली तक की कठोरता की जाती है। यहाँ तक कठोरता कि वकील तक खड़ा नहीं हो सकता।” इस वाक्य से चोरी डकैती बलात्कार मिलावट शब्द को छोड़कर आपने लिखा। मैं नहीं समझता कि आप इन अपराधियों के पति इतने अधिक दयालु और दहेज, वन अपराध, हरिजन आदिवासी उत्पीड़न के प्रति इतने कठोर क्यों हैं? बलात्कार सिर्फ बलात्कार होता है चाहे वह महिला हरिजन आदिवासी हो या कोई और। बलात्कार शब्द को भी धर्म जाति के आधार पर बांटना मेरी समझ के बाहर है।

आपने नाम पर आपत्ति की है। मेरे पिता जी ने मेरा नाम बजरंग अग्रवाल रख दिया और आपका सूबेदार धर्म सिंह। आपको भी अपने नाम के आगे पीछे सूबेदार और सिंह शब्द लगाने से आज तक नहीं रोका गया तो आपको भी मेरे नाम के लिये कोई कष्ट उठाना उचित नहीं। मेरा नाम रखने के पूर्व मेरे पिता जी से आपकी भेंट हो जाती तो शायद वे आपकी बात मान लेते।

मैंने समान नागरिक संहिता को इन सब समस्याओं का समाधान लिखा है। मैं बात पर अब भी कायम हूँ। मैं आर्य समाज के साथ जीवन भर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हजारों वर्षों तक वर्ण व्यवस्था के रूप में दिये गये जन्म से आरक्षण का दुष्परिणाम है कि योग्यता शोषित हुई। जन्म से दिये जाने वाले आरक्षण का यही दुष्परिणाम भविष्य में भी होना निश्चित है। अतः आरक्षण के नाम पर समाज को गुच्छा में बांटकर वर्ग विद्वेष फैलाने की अपेक्षा समान

नागरिक संहिता अपनाना दूरगामी लाभ दे सकेगा। यहाँ तक कि गरीब के नाम पर भी आरक्षण उचित नहीं। पिछड़े हुए परिवारों की प्रगति के उद्देश्य से कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि तथा दो प्रतिशत वार्षिक सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कर लगाया जा सकता है। इन सब समस्याओं के समाधान का गंभीर प्रयास तो होना चाहिये। मैं इसके पक्ष में हूँ किन्तु चोरी, डकैती, मिलावट, बलात्कार और भ्रष्टाचार की कीमत पर नहीं। मुझे दुख है कि आप प्राथमिकताओं के क्रम में निधारण में भारी भूल कर रहे हैं। आप सेवाग्राम वर्धा सम्मलेन में आइये। वहीं बैठकर प्रत्यक्ष चर्चा हागो।

डॉ० वेद व्यथित, बल्लभगढ़, हरियाणा ।

ज्ञान तत्व अंक साठ मिला। आपने देश के राजनैतिक चरित्र मुस्लिम आतंकवाद तथा हिन्दू साम्प्रदायिकता को एक में मिलाकर विचार किया है। आपका विश्लेषण अत्यंत गंभीर होते हुए भी न्याय करने में विफल रहा क्योंकि तटस्थता का विशेष प्रयास किया गया है।

कुरान पर कोई बातचीत या तर्क वितर्क न्यायालय या समाज में बल पूर्वक रोकने का प्रयास स्पष्ट रूप से आतंकवाद है और इस्लाम का यह मुख्य चरित्र है। इस्लाम के अन्दर से उठने वाले किसी भी प्रयास को ताकत से दबाया जाता है। दूसरी ओर हिन्दू धर्म में ठीक इस्लाम के विपरीत चरित्र है जहां किसी भी विषय पर चर्चा की पूरी छूट है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां हिन्दू धर्म विस्तार के लिये शक्ति का सहारा लिया जाये। फिर भी पता नहीं आप जैसे लोग गुजरात का नाम ले लेकर हिन्दू समाज को कोसना शुरू कर देते हैं आप धर्म निरपेक्ष लोग यह भूल जाते हैं कि हिन्दू धर्म की सहिष्णुता ने उसे कितनी हानि पहुँचाई है। सहिष्णुता का ऐसा उच्च आदर्श उपस्थित करने के बाद भी यदि आपकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया तो बताइये कि क्या हिन्दू धर्म स्वयं मिट जाये तभी आपकी धर्मनिरपेक्षता संतुष्ट होगी? संघ परिवार हिन्दू धर्म की रक्षा में पूरी तरह सक्रिय है और आप संघ परिवार की साम्प्रदायिक कह रहे हैं। आपने संघ परिवार के ही दो तीन प्रमुख मुद्दे समान नागरिक संहिता, धर्म परिवर्तन निषेध आदि को चुराकर एक नई दुत्कार खड़ी करने का प्रयास किया है। इस कार्य के लिये शब्दों की बाजीगरी नहीं चाहिये बल्कि चाहिये एक महात्मा गांधी जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी बात कहने की सामर्थ रखता हो।

उत्तर— मुसलमानों की संगठन शक्ति और कट्टरता संबंधी आपके विचारों से मैं सहमत हूँ। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियों का ठीक-ठीक आंकलन करते हुए भी आप इलाज के मामले में भूल कर रहे हैं। इसका कारण आपकी बुरी नीयत या अज्ञान नहीं है बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। क्या उपर में लिखे सूबेदार धर्मसिंह की प्रतिक्रिया भी हिन्दू धर्म की आंतरिक संरचना के विषय में आपके व इस्लाम संबंधी तर्कों से कम वजनदार थीं। क्यों उन्होंने सच्चाई का गलत चित्रण किया है? मेरे विचार में आप दोनों ही ठीक कहते हैं किन्तु रोगी की भाषा बाल रहे हैं वैद्य की नहीं और मुझे वैद्य की तरह भाषा बोलकर और सोचकर उपचार करना है। यही कारण है कि मैं आप सबकी तरह अनावश्यक बोलने से परहेज करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मुस्लिम आतंकवाद का मुकाबला भारत में संवैधानिक परिवर्तन से करना पर्याप्त है। यही मांग हिन्दुओं के लिये भी उचित है। संघ को अपनी कार्यप्रणाली में से मंदिर और गोहत्या जैसे भावना प्रधान मुद्दों को हटाकर समान नागरिक संहिता तथा धर्म परिवर्तन जैसे वैचारिक मुद्दे आगे करना चाहिये। जब से मैंने अंक साठ निकाला है तब से संघ के कई लोगों के आक्रोश भरे पत्र प्राप्त हुए हैं और सच भी है कि यदि समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर जन जागरण का प्रयास हो जावे तो पूरी शान्ति से इस्लाम को आक्रामता पर संवैधानिक अंकुश लग सकता है। इस अकुश का प्रभाव दूरगामी होगा। यह संवैधानिक परिवर्तन सवर्णों के एक पक्षीय नेतृत्व पर भी चोट करेगा। यह बात अवश्य है कि यह इलाज उन लोगों के मन की ज्वाला को शान्त नहीं कर सकेगा जो पूर्व में मुस्लिम कट्टरवादियों द्वारा हिन्दू धर्म पर किये गये अत्याचारों की आग में जल रहे हों अथवा सवर्ण हिन्दुओं द्वारा निचले वर्ग के हिन्दुओं के प्रति किये गये अत्याचारों का बदला लेने पर उतारू हों।

इस्लाम ने अपनी संख्या विस्तार में संगठन शक्ति का भरपूर प्रयोग किया और अपने अमानवीय आतंक के सहारे सफलता भी पाई यह निर्विवाद है, दूसरी ओर इस्लाम पूरे विश्व में अविश्वसनीय हो गया है और अलग-थलग हो गया यह भी सही है। हिन्दू धर्म को इस्लाम के मार्ग पर चलना उचित नहीं है और संघ उसी दिशा में ले जाना चाहता है। मेरी इच्छा है कि आप थोड़ा आक्रोश से हटकर विचार करें और तब कोई नतीजा निकालें तो अच्छा होगा।

श्रीमतो उमा थपलियाल, रुद्र प्रयाग, उत्तरांचल

आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आर्थिक दृष्टि से भी बहुत त्याग करते हैं। हम सब महिलाएँ इस क्षेत्र में महिला उत्थान का काम कर रही हैं। जिसमें शासन की बेरुखी के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने दान फण्ड में से कुछ आर्थिक सहायता भिजवाने की कृपा करेंगे।

उत्तर— आप लम्बे समय से समाज सेवा में लगी हैं इसके लिये आप बधाई की पात्र हैं। आपको मुझसे कुछ आर्थिक सहायता की अपेक्षा है। परन्तु मैं तो पूरी तरह ब्राम्हण हूँ। न कोई आय का श्रोत है न ही किसी सम्पत्ति से संबंध है। भाइयों के श्रम से मेरा भरण पोषण है तथा सहयोगियों के दान से देश भर में वैचारिक परिवर्तन में दिन रात लगा रहता हूँ। मांगना मेरा स्वभाव नहीं है फिर भी देश भर के लोग स्वयं ही ज्ञान तत्व का शुल्क भेजते हैं या अन्य आर्थिक सहायता करते हैं। आपने भी ज्ञान तत्व का वार्षिक मूल्य भेजकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। इस तरह यह प्रत्यक्ष है कि मैं ज्ञान दान या श्रम दान तक ही सीमित हूँ आशा है कि आप मेरी आर्थिक मजबूरी के लिये मुझे क्षमा करेंगी।

श्री विमल चन्द पाण्डे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

ज्ञान तत्व अंक साठ पूरा पढ़ गया। काफी अच्छा लगा। वस्तुतः विधायिका तथा कार्यपालिका पर जनमत का नैतिक दबाव न होने से ही अनेक सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं का जन्म हुआ है। नता वोट के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार है। वे जानते हैं कि जनता उनके भावनात्मक नारों में पीछे चलने ही लगेगी तो वे भावनात्मक नारे क्यों न उछालकर जनता को अपने साथ कर लें। इसी चालाकी ने समाज में राजनेताओं की विश्वसनीयता को प्रभावित भी किया है और जनता हिजड़ो अपराधियों अभिनेताओं, खिलाड़ियों तक को नीति निर्धारक जैसा उत्तरदायित्व सौंप दे रही है। कार्यपालिका भी राजनेताओं की अपेक्षा अराजनीतिकों की तरफ झूक नहीं है। योग्य लोग चुन कर आ नहीं सकते और अयोग्य लोग सिर्फ चुनाव जोतने मात्र से योग्य हो नहीं सकते।

गुजरात के सबक से मैं सहमत तो हूँ किन्तु आपकी धर्म निरपेक्ष परिभाषा को तथा कथित सेक्यूलर लोग कितना स्वीकार करेंगे? क्योंकि इनकी धर्म निरपेक्षता कश्मीर नागालैण्ड और मेघालय में क्या हो रहा है इससे जरा भी चिन्तित नहीं। इन धर्म निरपेक्षों का एक पक्षीय हिन्दू विरोध कहीं मुसलमानों को पूरा तरह भारतीय राजनीति में अविश्वसनीय और अलग-थलग न कर दे यह खतरा दिखता है।

उत्तर— मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूँ। आज सबसे बड़ी समस्या धर्म निरपेक्षों की विश्वसनीयता का संकट ग्रस्त होना ही है। गोधरा के स्टेशन पर कई सौ लोगों के समझ एक डिब्बे को जलाया गया किन्तु सत्य आज तक संदेहास्पद बना हुआ है। उस ट्रेन के हजारों यात्री अथवा आन्दोलनकारी हजारों गोधरा वासी सत्य से हटकर ऐसे दो खेमों में बंटें कि सत्य पूरी तरह छिन्न गया। घटना की जाँच करने गये लोग भी या तो तटस्थ होकर विचार व्यक्त नहीं कर सके अथवा कौन क्या कहेगा यह आम आदमी पहले से ही जानता था अब आवश्यकता अपनी विश्वसनीयता को बनाये रखने की है। मैं आपके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूँ। सेवाग्राम वर्धा आइये तो बैठकर चर्चा होगी।

श्री ओम प्रकाश कश्यप गाजियाबाद

आपने अपराध और साम्प्रदायिकता पर अच्छी बहस छेड़ी। काफी कुछ समझने का अवसर मिला। किन्तु जातिवाद को आपने अब तक नहीं छुआ जबकि हिन्दुओं के धर्मान्तरण का वाहा कारण भले ही इसाई मुसलमान हो किन्तु आन्तरिक कारण तो जातीय कट्टरता ही है। जातिवाद के कारण ही अन्य धर्मावलम्बी हिन्दू धर्म में नहीं आ पाते जबकि हिन्दू आसानी से चले जाते हैं। धर्मान्तरण पर अंकुश समाज व्यवस्था का विषय है। कानून से धर्मान्तरण रोकना न उचित है न ही संभव।

उत्तर— मैंने अपराध आर साम्प्रदायिकता पर बहस छेड़ी है। अगला विषय महिला उत्पीड़न है जो अंक बासठ से शुरू हुआ है। आगे कभी जातिवाद भी विषय बनेगा।

मैं धर्मान्तरण को रोकने का कानून बनाने का पक्षधर नहीं। स्व निर्णय व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने या किसी का न माने यह कानून का विषय नहीं। कानून तो सिर्फ इतना ही देख सकता है कि वह धर्म का उल्लंघन न करे अर्थात् मानव धर्म को अवश्य माने। धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास को दण्डनीय बनाने का अर्थ धर्म के नाम पर छीना झपटी या दुकानदारी को रोकना है। यदि हमारी सरकार रेलवे आरक्षण से पेशेवर दलालों पर रोक लगा सकती है तो धर्म परिवर्तन के दलालों पर रोक भी संभव है। जातिवाद हिन्दू धर्म का कोड़ है यह सच होते हुए भी अभी चर्चा का विषय नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ कि धर्म में कानून का हस्तक्षेप न हो। इसीलिये मैंने समान नागरिक संहिता का सुझाव दिया है।

श्री एम.एस. सिंगला, बैंक कॉलोनी, नाका मदार अजमेर, राजस्थान

ज्ञान तत्व अंक साठ मिला। समस्याओं के अस्तित्व से सहमति है। तात्कालिक समाधान ये हो सकते हैं :-

1. द्विस्तरीय शासन व्यवस्था समाप्त हो। प्रान्तीय सरकार की आवश्यकता नहीं। सरकार एक ही हो और वह केन्द्र की।
2. भाषाचार प्रान्तों का गठन समाप्त करके देश को क्षेत्र तथा आबादी के मापदण्ड पर बांटा जावे।
3. आम चुनाव एक ही बार हों। विशेष स्थिति में उपचुनाव हो सकते हैं।
4. जन प्रतिनिधियों की भी उपचार संहिता हो। उन्हें भी सेवाओं तथा आचरण के लिये जन सेवकों के समकक्ष रखा जावे।
5. प्रशासन में शासन का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। शासन नियम कानून बनाने तक सीमित हो।
6. जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था कानून में निर्धारित हो।
7. शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा और न्याय हो।
8. दण्ड विधान तथा दण्ड प्रक्रिया कठोर हो तथा प्रभावोत्पादक हो, भले ही मानवीय हो या नहीं।

उत्तर — आपने जो भी बिंदू लिखे ह वे सब बहुत ही सूझ बूझ के हैं। हम लोगों ने अनुसंधान के बाद नई व्यवस्था का जो प्रारूप बनाया है उसमें ऐसी ही व्यवस्था है।

1. व्यवस्था के दो चरण होंगे **1.** शासन **2.** पंचायत। शासन सिर्फ केन्द्रीय होगा प्रान्तीय सरकार नहीं होगी। पंचायतें ग्राम, जिला, प्रदेश तथा केन्द्रीय होगी। शासन के पास सिर्फ पांच विभाग होंगे न्याय, पुलिस, विदेश, सेना और वित्त। अन्य सभी कार्य पंचायतें देख सकती हैं। शासन के कार्या का विभाजन ऊपर से नीचे होगा और पंचायतों का नीचे से ऊपर।
2. पूरे भारत में ऐसे सौ प्रान्त, दस हजार जिले और दस लाख गांव होंगे। प्रत्येक परिवार का नौ अंकों का एक निश्चित कोड नम्बर होगा जो उसकी पहचान होगी।
3. लोक सभा स्थिर होगी। प्रतिवर्ष बीस प्रतिशत सीटों का चुनाव होगा और उतनी सीटें प्रति वर्ष खाली होंगी। प्रति वर्ष प्रत्येक प्रदेश से एक सीट पर चुनाव लोकसभा के लिये होगा।
4. जन प्रतिनिधियों की कोई आचार संहिता आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि आचार संहिता होगी तो उसको बनाने वाला कौन होगा। फिर जन प्रतिनिधियों के पास अधिकार ही बहुत कम रहेंगे तो उनका काम ही नहीं रहेगा।
5. इससे भी पूरी तरह सहमति है।
6. इसकी व्यवस्था भी नई व्यवस्था में रखी गई है।
7. क्रमांक सात और आठ से भी सहमति है।

अब तो नई व्यवस्था का प्रारूप लगभग बना ही हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास मात्र करने की आवश्यकता है।

श्री विमलचन्द पाण्डे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

समीक्षा— ज्ञान तत्व अंक इकसठ मिला। उत्तर प्रदेश में राजा भैया राजनैतिक चर्चा के केन्द्र बने हुए हैं। राजा भैया उत्तर प्रदेश के एक खूंखार व्यक्ति रहे हैं। इन्डिया टुडे और माया में प्रस्तुत जानकारी इसका प्रमाण है। राजा भैया पर एक ही मुस्लिम परिवार के छः लोगों की हत्या करके नदी में बहाने तक के आरोप हैं फिर भी पता नहीं कांग्रेस तथा सपा किस मह से उनका समर्थन कर रहे हैं। यही सपा, और कांग्रेस राजा भैया का पुरजोर विरोध कर रही थी और कल्याण सिंह ने तो कण्डा को गुण्डा रहित करने तक की बात कही थी। राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि मिनट भर में ही गुण और दोष उसी आंख से विपरीत दिखने लग जाते हैं। वहीं अपराधी राजा भैया यदि मंत्रिपद की लालच में मायावती का विरोध न करते तो वे मायावती की नजर में भी उतने ही शरीफ दिख रहे थे जितने आज मुलायम सिंह जी को दिख रहे हैं।

श्री विजय सिंह बलवान, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश —202394

ज्ञान तत्व मिला। सर्वनारायण जी के विचारों से सहमति होते हुए भी मैं धर्म परिवर्तन पर पूरी रोक का पक्षधर हूँ न्यायालय की जाँच और अनुमति से यह समस्या नहीं रूकेगी। लोक स्वराज्य मंच के कार्य से जुड़ना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में यदि मंच का गठन करना हो तो क्या करना होगा।

उत्तर — धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता है। उस पर कोई कानूनी प्रतिबंध उचित नहीं है। सर्व नारायण दास जी का सुझाव धर्म का व्यवसाय करने वालों को निकालना मात्र तक ही है। इससे आगे जाना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

आप अपने क्षेत्र में मंच का गठन कर सकते हैं। आप छब्बीस मार्च से उन्तीस मार्च तक सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम स्टेशन, वर्धा नागपुर के निकट महाराष्ट्र में शिविर सम्मेलन में आइये। वहाँ पूरी चर्चा होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री कानपुर, उत्तर प्रदेश

प्रश्न— ज्ञान तत्व अंक बासठ मेरे सामने है। महिलाओं के संबंध में काफी अच्छे ढंग से विवेचना की गई है। आपने परिवार शब्द की पृथक परिभाषा प्रस्तुत की है। परिवार को आपसी पारिवारिक रिश्तों यथा भाई पिता माता पुत्र आदि से मुक्त कर दिया है। कोई बालक अपने माता पिता के नाम से समाज में पहचान नहीं बना सकेगा। या कोई पत्नी पति के नाम से पहचान न रखकर परिवार के नाम से पहचानी जायेगी। न विवाह पंजीकृत होंगे न ही उनका कोई उपयोग होगा। यह सब कैसे संभव है? पारिवारिक मामलों में इतना हस्तक्षेप करना उचित है?

उत्तर— मैं परिवार के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोधी हूँ, समर्थक नहीं। परिवार में माता पिता पति पत्नी, पिता पुत्र के संबंध पारिवारिक हैं या सामाजिक, किन्तु कानूनी संबंध नहीं है। इन संबंधों में कोई संवैधानिक या कानूनी हस्तक्षेप अनावश्यक भी है और अनुचित भी। कानून की दृष्टि में सबकी हैसियत समान मानी जायेगी क्योंकि समान नागरिक संहिता में व्यक्ति एक इकाई है और परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सम्पत्ति और उत्तरदायित्व के मामले में साथ रहने हेतु सहमत हैं। परिवार में देवर भाभी के बीच क्या संबंध हों यह पारिवारिक मामला है और परिवार से उपर गांव भी इस पर विचार कर सकता है लेकिन सरकार नहीं। सच्चाई यह है कि मैं ऐसे मामलों को सरकार से हटाकर परिवार से उपर गाँव भी इस पर विचार कर सकता है लेकिन सरकार नहीं। सच्चाई यह है कि मैं ऐसे मामलों को सरकार से हटाकर परिवार या गांव पर छोड़ना चाहता हूँ और आप उल्टा मुझे कह रहे हैं। परिवार में सम्पत्ति का विभाजन किसी कानून के द्वारा बनाय नियमों के आधार पर न होकर सभी सदस्यों का सम्पत्ति पर समान अधिकार होना चाहिये। इसी तरह परिवार में आपसी रिश्ते किस प्रकार हो यह कानूनी हस्तक्षेप से अलग होना चाहिये। कल्पना कीजिये कि परिवार में कोई विधवा हो जाये और मजबूरी वश परिवार उस विधवा की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये परिवार में ही कोई व्यवस्था कर ले अथवा ऐसी ही हालत किसी विधुर की हो जावे तो इसमें किसी कानून की तो कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिये। मैं तो यहाँ तक सहमत हूँ कि ऐसे मामलों से समाज को भी दूर ही रहना चाहिये। वैसे परिवार की संरचना पर लेख पृथक से लिखते समय और अधिक विचार किया जायेगा।

श्री राम किशोर जी पसीने, नागपुर, महाराष्ट्र

प्रश्न— मैं आपके विचारों का प्रशंसक हूँ। फिर भी यह महसूस करता हूँ कि आपका अति आत्म विश्वास कहीं भविष्य में आम नागरिकों को आपके घमण्ड के रूप में दिखने लगा तो आपकी छवि को आघात लगेगा। सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपराध शब्द और उसके अर्थ पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

उत्तर— आज तक दुनियां में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसका सोच अंतिम हो। प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर दूसरा से कुछ सीखता भी है और सिखाता भी है। मैं भी ऐसा ही लोगों में से एक हूँ। मुझे भी निरंतर आप लोगों से मार्गदर्शन की आवश्यकता बनी रहती है।

वर्तमान समय आपात काल है। आम नागरिक का मनोबल टूटा हुआ है। अच्छे-अच्छे दिग्गज भी व्यवस्था परिवर्तन की दिशा छोड़कर सेवा कार्य में जुट गये हैं। ऐसे संकट काल में कुछ करने के लिये अति आत्म विश्वास की आवश्यकता है। रामायण काल में जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान का अति आत्म विश्वास उन्हें असंभव समुद्र पार करने में सहायक हुआ आत्म विश्वास और घमण्ड का घटना पश्चात आकलन उसकी सफलता पर निर्भर करता है। यदि हनुमान पार नहीं कर पाते तो इतिहास उनकी समुद्र पार करने की घोषणा को घमण्ड करता। मैं पूरी तरह सतर्क हूँ कि कहीं आत्म विश्वास की लक्ष्मण रेखा पार न कर जाऊँ। मने घोषित किया कि दो हजार सात तक वर्तमान व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की सारी बाधाएँ दूर हो जायेंगी। यह घोषणा आज की देश काल और परिस्थिति को देखते हुए एक आकलन के आधार पर है। यदि साल छः माह के हेरफेर से भी हम सफल हुए तो मेरा प्रयास आत्म विश्वास माना जायेगा और यदि असफल हुआ तो घमण्ड है ही। मैं आश्वस्त हूँ कि जिस तरह आप सब साथी सहयोग कर रहे हैं उससे दो हजार सात से पूर्व भी सफलता संभव है।

अपराध के संबंध में विस्तृत विवेचना अंक अन्तावन के करीब में हुई है। एक पुस्तक भी लिखी गई है। इसकी अब तक तीन परिभाषाएँ सोची गई है —

1. व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। मूल अधिकार सिर्फ चार दिनों का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, सम्पत्ति का, स्वनिर्णय का।
 2. वे कार्य जो सृष्टि के प्रारंभ में भी अपराध थे, आज भी माने जाते हैं तथा भविष्य में भी माने जायेंगे।
 3. किसी इकाई के इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करना इन तीनों का अर्थ लगभग एक समान है। पूरे विश्व में अपराध सिर्फ पांच हैं।
- (1) चोरी, डकैती, लूट
 - (2) बलात्कार
 - (3) मिलावट, कमतौल
 - (4) दादागिरी, गुण्डा गद्दी, आतंकवाद, बलपूर्वक अपनी बात थोपना
 - (5) जालसाजी धोखाधड़ी

इन पांच के अतिरिक्त सारे कार्य गैर कानूनी होते हैं, अपराध नहीं। अपराधी तत्व निरंतर यह प्रयास करते हैं कि **Crime** और **Illegal** अपराध और गैर कानूनी का अन्तर समाप्त करके सबको अपराध मान लिया जाय। दुर्भाग्य से हम लोग भी उनके इस प्रयास में फंस जाते हैं। इसीलिये हमलोगों ने अपने शहर में गैर कानूनी काम करने वालों को दो नम्बर और अपराधिया को तीन नम्बर कहने की परंपरा शुरू की है।

यदि मैं भारत का तानाशाह होता—बजरंगलाल

तो तत्काल सम्पूर्ण भारत में निम्न परिवर्तन लागू करता —

1. भारत को राज्यों के स्थान पर परिवारों का संघ घोषित करता। व्यवस्था की पहली इकाई परिवार होता है। परिवार की व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करता।
- 2- अपने पास आन्तरिक सुरक्षा, वाहा सुरक्षा, न्याय, वित्त और विदेश विभाग रखकर अन्य सारा दायित्व परिवारों को सौंप देता तो परिस्थिति अनुसार ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश सभा या राष्ट्रीय सभा क माध्यम से उक्त व्यवस्था करते।
- 3- परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति में प्रत्येक सदस्य का बराबर हिस्सा होता। व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होता। परिवार बदलते समय अपनी सम्पत्ति निकाल कर दूसरे परिवार में शामिल करना अनिवार्य होता।
- 4- परिवार के सम्पूर्ण किया कलापां का उत्तरदायित्व सामूहिक होता।
- 5- सम्पूर्ण भारत को एक सौ प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश को एक सौ जिला और प्रत्येक जिले को एक सौ गांवों में बांटकर प्रत्येक परिवार का नौ अंकों का एक निश्चित कोड नम्बर होता जिसमें पहले दो अंक प्रदेश के, दो अंक जिले के दो अंक गांव के तथा अन्तिम तीन अंक परिवार के घर की पहचान होते। यही नम्बर फोन, बैंक खाता, गाड़ी नम्बर। पोस्ट आफिस या न्यायालय आदि सब जगह उस परिवार की पहचान होता।
- 6- ग्राम सभा के पास प्रत्येक परिवार पंजीयन कराता जिसमें उसके परिवार के सदस्यों का पूरा विवरण तथा परिवार की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण अंकित होता।
- 7- परिवार के प्रत्येक सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया का चयन करते तथा लोकसभा से ग्रामसभा तक के किसी भी मतदान में परिवार का मुखिया ही मतदान करता जिसके मत का मूल्य उस परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर होता।
- 8- लोकसभा स्थिर होती जिसमें प्रतिवर्ष बीस प्रतिशत सदस्य नये चुने जाते। राज्य सभा इस प्रकार बनती कि परिवार द्वारा ग्राम सभा, ग्राम सभाओं द्वारा जिला सभाओं द्वारा प्रान्त सभा, प्रान्तीय सभाओं द्वारा केन्द्रीय सभा तथा केन्द्रीय सभा द्वारा राज्य सभा का निर्माण हाता।
- 9- किसी लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों की तीन चौथाई जिला पंचायतें प्रस्ताव पारित करके अपने सांसद की सदस्यता समाप्त कर देतीं।
- 10- मृत्युदण्ड घोषित कोई व्यक्ति अपनी दोनों आंख देकर जीने की इच्छा व्यक्त करता तो न्यायालय को उसे जमानत पर छोड़ने का अधिकार होता।
- 11- परिवार, ग्रामसभा, जिला सभा प्रान्तीय सभा तथा राष्ट्रीय सभा अपने- अपने अधिकार तथा कार्य प्रणाली स्वयं तय करने के लिये स्वतंत्र होते। किसी सभा के आन्तरिक विवाद की स्थिति में निर्णय या निर्णय की प्रक्रिया नीचे वाली इकाइयों करती। उपर वाली नहीं। किसी सभा के अन्य सभा से टकराव का निर्णय उपर वाली सभा अथवा न्यायालय द्वारा किया जाता।
- 12- देश की सीमाओं से सटे हुए पंद्रह कि.मी. तक का भाग पूरी तरह सैनिक व्यवस्था के अन्तर्गत होता।
- 13- कृत्रिम उर्जा जैसे डीजल, पेट्रोल, बिजली, मिट्टीतेल, कोयला, आदि के मूल्य तत्काल दो से ढाई गुने तक बढ़ा दिये जाते।
- 14- सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पर चाहे वह परिवार की हो अथवा सार्वजनिक दो प्रतिशत वार्षिक का कर लगाकर भारत में लगने वाले सभी कर समाप्त कर दिये जाते।
- 15- भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिक को प्रतिवर्ष ढाई हजार रूपया जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की **Subsidy** रोक दी जाती।
- 16- प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की निश्चित गारंटी दी जाती। विफल होने पर शासन उसे न्यायालय अनुसार सुरक्षा मुआवजा देने हेतु बाध्य होता।
- 17- पूरे देश में आपातकाल घोषित करके तीन माह के अन्दर का समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पचास लोगों की फांसी, एक सौ को आजीवन कारावास तथा पांच सौ को एक से दस वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जाता। पुलिस की गुप्तचर शाखा के प्रस्ताव पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई जिला एवं सत्र न्यायालय की गुप्तचर शाखा द्वारा दण्ड का चयन होता। दण्ड के विरुद्ध अपील का निर्णय भी उच्च अदालतों की गुप्तचर शाखा ही करती और छः माह में ही अंतिम निर्णय हो जाता। छः माह बाद उक्त आपात व्यवस्था सिर्फ वहीं लागू होती जहाँ के एस.पी., कलेक्टर और जिला जज ऐसा आवश्यक मानते।
- 18- किसी भी व्यक्ति को न्यायालय से अलग सजा देने या बंद रखने के सभी कानून समाप्त हो जाते।
- 19- वर्तमान समय में न्यायालय में चल रहे पाँच प्रकार के अपराध **1.** चोरी डकैती, **2.** बलात्कार **3.** मिलावट, कमतौल **4.** जालसाजी धोखा
- 5.** आतंक, दादागिरी गुण्डागद्दी को छोड़कर अन्य सभी गैर कानूनी कार्यो शराब, गांजा, जुआ, वैश्यावृत्ति, महिला हरिजन आदिवासी विशेष अधिकार, छुआछूत दहेज आदि को पूरी तरह वापस हटा लिया जाता।
- 20- किसी अन्य दश से विवाद की स्थिति में पंच फैसले को अधिक महत्व दिया जाता। विदेश नीति विश्व सरकार निर्माण में सहायक होती।
- 21- किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग आर्थिक